गरीबों, वृद्धों, विधवाओं और निराश्रित लोगों के कल्याण हेतु योजनाएं

752. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीबों, वृद्धों, विधवाओं और निराश्रित लोगों के लिए कौन-कौन सी कल्याण योजनाएं पूर्णतः और अंशतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) गरीबों, वृद्धों, विधवाओं और निराश्रित लोगों के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:—

(1) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाएं हैं:—

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
(2) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
(3) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों और शर्तों के अनुसार लाभ प्रदान करने हेतु 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। गरीब गृहस्थियों को सामाजिक सहायता के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ने एक राष्ट्रीय नीति शुरू की है। उन्हें वृद्धावस्था, परिवारों प्रमुख कमाने वाले की मृत्यु तथा प्रसूति पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15.8.1995 से प्रभावी हुआ है तथा ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

(2) वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के दौरान लाभग्राहियों को उपलब्ध संख्या को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। (नीचे देखिए) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, 1995-96 के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या संबंधी विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभग्राही	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लाभग्राही	राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	260612	20390	207427
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
3.	असम	,,	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
4.	बिहार	,,	398	1148
5.	गोवा	447	17	प्राप्त नहीं
6.	गुजरात	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	,,
7.	हरियाणा	33808	,,	,,
8.	हिमाचल प्रदेश	6519	,,	,,
9.	जम्मू और कश्मीर	13911	292	5057
		प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

	2	3	4	5
10.	कर्नाटक			
11.	केरल	38279	70	140
12.	मध्य प्रदेश	181814	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
13.	महाराष्ट्र	7364	80	276
14.	मणिपुर	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
15.	मेघालय	,,	,,	,,
16.	मिजोरम	1330	83	1265
17.	नागालैंड	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
18.	उड़ीसा	174331	18	1389
19.	पंजाब	35524	579	3669
20.	राजस्थान	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
21.	सिक्किम	800	,,	,,
22.	तमिलनाडु	प्राप्त नहीं	,,	,,
23.	त्रिपुरा	,,	,,	,,
24.	उत्तर प्रदेश	764671	12651	169589
25.	पश्चिम बंगाल	353900	18643	170733
26.	अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
27.	चण्डीगढ़	1187	1	5
28.	दादर एंड नगर हवेली	300	28	88
29.	दमन और दीव	86	24	24
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
31.	लक्षद्वीप	,,	,,	,,
32.	पांडिचेरी	,,	,,	,,
	कुल	1874873	53274	560910

विवरण II

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उत्तर प्रदेश	16,525	56,750	56,400
2.	असम	25	75	75
3.	बिहार	50	50	150
4.	गुजरात	75	75	75
5.	हरियाणा	375	475	525
6.	हिमाचल प्रदेश	50	4,850	4,850
7.	कर्नाटक	100	250	250

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
8.	केरल	—	9,775	9,750
9.	मध्य प्रदेश	50	325	300
10.	महाराष्ट्र	175	350	175
11.	मणिपुर	800	1,100	825
12.	उड़ीसा	6,525	6,825	6,875
13.	पंजाब	100	50	100
14.	राजस्थान	150	150	—
15.	तमिलनाडु	16,175	35,650	30,500
16.	त्रिपुरा	50	300	300
17.	उत्तर प्रदेश	7,350	2,975	7,875
18.	पं० बंगाल	6,750	19,200	21,700
19.	दिल्ली	4,975	9,875	9,650
20.	पांडिचेरी	—	25	25

Allocation of coal to Saurashtra and Kachh region

753. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the monthly requirement of coal in Saurashtra and Kachh region for domestic and industrial consumption district-wise as on date;

(b) whether there is an acute scarcity of coal in this region during the last three years;

(c) whether Government propose to increase the allocation of coal to Saurashtra and Kachh region in the near future;

(d) the actual allocation of coal to this region during the last twelve months with monthly details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) to (e) The requirements of coal are assessed industry/sector-wise for the whole country. They are not assessed state-wise/district-wise/region-wise.

No specific communication has been received from the State of Gujarat regarding acute scarcity of coal in Saurashtra and Kachh regions.

However, as a result of a higher priority given for supply of coal to the power sector, and as a result of a sharp increase in the demand of coal from this sector, supplies of coal to the industrial consumers has been affected. The total supplies to consumers other than the power sector, including industrial and SSI units in Gujarat was 25.76 lakh tonnes (provisional) in 1995-96 as against 32.16 lakh tonnes (provisional) in 1994-95. The total despatch to the power sector in Gujarat has, however, increased to 125.84 lakh tonnes (provisional) as against the despatches of 118.88 lakh tonnes (provisional) in 1994-95.

Coal companies are endeavouring to meet the requirements of coal of all consumers in the country including that of consumers in Gujarat by increasing production of coal. In additional coal from a number of collieries is being offered under the Liberalised Sales Scheme under which scheme coal is supplied without the requirements of